सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 24, गुरूवार, शाके 1944-सितम्बर 15, 2022

Bhadra 24, Thursday , Saka 1944- September 15, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 12, 2022

संख्या एफ.6 (1)/गृह/सम्पर्क /सचि./प्रको./2022/ :-सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 81 के अनुसरण में राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए Pre-Matric एवं Post-Matric छात्रवृत्ति लागू की जाती है। इसके तहत अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं उनके बच्चों, जो इस योजना में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

छात्रवृत्ति राशि निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत उपलब्ध कराई जायेगी :-

1. आवेदक छात्र/छात्रा के माता-पिता में से किसी एक व्यक्ति का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है।
2. अधिस्वीकृत पत्रकार जिसकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रुपये हो, के दो बच्चे तक ही पात्र होंगे। (आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)
3. आवेदक छात्र/छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
4. आवेदक छात्र/छात्रा को जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. आवेदक छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य में राजकीय / मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत होना चाहिये।
6. आवेदक पूर्व में राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के तहत छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो। इस संबंध में 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशयल स्टाम्प पर नोटरी से अधिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
8. आवेदनकर्ता छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में आवेदन करना होगा। संबंधित कार्यालय को आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात अपनी अनुशंषा के साथ इसे मुख्यालय को 15 दिवस में अग्रेषित करना होगा। मुख्यालय पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्र की समग्र जांच उपरान्त छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जायेगी।

9. योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि Annexure-I एवं Annexure-II अनुसार देय होगी।

10. छात्रवृत्ति की राशि की स्वीकृति आयुक्त/निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

11. छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार का होगा।

राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए Pre-Matric एवं Post-Matric छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या : 332200458 दिनांक 20.06.2022 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

पुरूषोत्तम शर्मा,
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Scholarship Scheme

Annexure-I

Pre-Matric

Pre-Matric	Allowance (in Rs.)
Pre-Matric Scholarship Class 6 to 10	Rupees 100 per month. (Maximum 10 months.) Rupees 1000 Lump-sum amount.

Annexure-II

Post-Matric

Category of Courses	Yearly Allowance (in Rs.)	
	Hostellers	Day Scholars
Group 1. Degree and Post Graduate level professional courses	13500	7000
Group 2. Other Professional Courses leading to Degree, Diploma Certificate	9500	6500
Group 3. Graduate and Post Graduate courses not covered under Group 1 and Group 2	6000	3000
Group 4. All post-matriculation (Post Class X level) non-degree courses	4000	2500

1. The scholarship includes the following components for the complete duration of the course.

1.1 Compulsory non-refundable fees including tuition fee as fixed by the fee Fixation/Rationalization Committee of the State Government.

Note:- Scholarship allowances may be changed from time to time as per the order/circular of Social Justice and Empowerment Department.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।